07/7/24

पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वादी
वकील ने एक [illegible] [illegible] पेश [illegible] पत्रावली
वादी का वाद [illegible] स्वीकार किया जावे के विरुद्ध
[illegible] [illegible] किया जाकर पत्रावली शामिल
किया गया। पत्रावली के साथ [illegible] [illegible]
[illegible] को पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible]
के शामिल [illegible]

[signature]

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर ([illegible])

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
160/2022	01.09.2022	07.07.2025

बउनवान

1. पूर्ण सिंह पुत्र सत्यवीर जाति जाट निवास पेहल तह0 मुण्डावर
2. मुकेश सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
3. प्रेम कुमार पुत्र सत्यवीर जाति जाट निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
4. सोनू कुमार पुत्र सत्यवीर जाति जाट निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
5. महावीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
6. शैतान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
7. सूरत सिंह पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी डयोढई तहसील/जिला रेवाडी

:– वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी वकील :– श्री रामावतार चौधरी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.01, 621 रकबा 3.00, 632 रकबा 0.01, 633/0.52 है वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी मानी जावेगी।
2. यह है कि उक्त आराजी का राजस्व रिकोर्ड शामलाती है तथा मिन वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से राजस्व रिकोर्ड में अनुसार मौके पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त करते आ रहे है।
3. यह है कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की गलत से मिन वादीगण के नाम के आगे उपकृषक का अंकन कर दिया जबकी मिन

सहायक कलक्टर (का0ट्रे0)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकोर्ड में उपकृषक का अंकन होने से मिन वादीगण को अपने अधिकारो से वंचित होना पड रहा है तथा उपकृषक का अंकन होने से उक्त आराजी पर कृषि योजना का लाभ प्राप्त करनेसे से वंचित होना पड रहा है।

4. यह है कि गलत अंकन का पूर्व में मिन वादीगण को जानकारी नही थी लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकोर्ड को नकल लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया की राजस्व रिकोर्ड में गलत से आपके नाम के साथ उप कृषक दर्ज हो रहा हैं। जिस दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक है।

5. यह है कि राजस्व रिकोर्ड की नकल हासिल करने के बाद श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर से राजस्व रिकोर्ड में उपकृषक के अंकन को हजफ कराने का निवेदन किया तो दिनांक 17.07.2022 को स्पष्ट इन्कार कर दिया व कहा की अदालत से आदेश लेकर आओ उसके बाद दुरूस्ती की जावेगी। लिहाजा अविलम्ब ही दावा अदालत हाजा में पेश करना लाजिम आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे किः–

अ – यह है कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस आश्य की जारी फरमाई जावें की आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.01, 621 रकबा 3.00, 632 रकबा 0.01, 633 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर के राजस्व रिकोर्ड में जो उपकृषक शब्द का अंकन दर्ज ह उसे हजफ कर मिन वादीगण को अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकोर्ड में उपकृषक का अंकन हटाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

ब– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब समझे बख्शी जावें।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी. ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2078 पेश की।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी मे वादीगण सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। वादीगण के नाम के पिछे "अ.विव.

सहायक कलक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के अनुसार काश्तकार ही आराजी का असली खातेदार होता है ना कि उपकृषक काश्तकार होता है। राजस्व अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा उपकृषक काश्तकार को वादीगण के नाम के पिछे अमल दरामद कर दिया गया। जो गलत है। इसलिए वादीगण अपने नाम के पिछे अमल दरामद "अ.विव. को हजफ कराने का अधिकार रखता है। वादीगण का वाद को स्वीकर कर वादी के पिछे अविव हजफ किये जाने का श्रम करे।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श-1 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अनुसार किसी सिकमी/बकाश्त का कोई हक अधिकार नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.01, 621 रकबा 3.00, 632 रकबा 0.01, 633 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को खातेदार काश्तकात घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में हो रहे वादीगण के पिछे "अ.विव." को कलमजन किया जावें। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (आर्एएस)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
160 / 2022	01.09.2022	07.07.2025

बउनवान

1. पूर्ण सिंह पुत्र सत्यवीर जाति जाट निवास पेहल तह0 मुण्डावर
2. मुकेश सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
3. प्रेम कुमार पुत्र सत्यवीर जाति जाट निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
4. सोनू कुमार पुत्र सत्यवीर जाति जाट निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
5. महावीर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
6. शैतान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति राजपूत निवासी पेहल तह0 मुण्डावर
7. सूरत सिंह पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी डयोढई तहसील/जिला रेवाडी

:– वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री रामावतार चौधरी एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 07.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 0.01, 621 रकबा 3.00, 632 रकबा 0.01, 633 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण को खातेदार काश्तकात घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में हो रहे वादीगण के पिछे "अ.विव." को कलमजन किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0